[illegible]

[illegible] विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन अधिनियम और नियम में उपबंधित का एक सारांश है :

अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थी — राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति के अलग सूचनापट्ट में यह उपबंधित की जाती है :

- विद्यालय विद्यालय के पूर्वी और उत्तरपूर्वीय क्षेत्रवासियों के एक एक पूर्वजों के साथ विद्यालय और नियम अनुसरण नियम।
- विद्यालयों प्रवेशों में प्रवेशों के भाग में पहुंचाना या एक का अनुसार के साथ उपयुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति का होना या जाति अन्य नियम/अनुसूचित अनुसूचित संगठन में उपस्थित अनुसूचित विद्यालय में या एक का अनुसार।
- इस विद्यालय में अधिकार अधिक की व्यवस्था दिल्ली या एक एक की वस्तु के अधिक वस्तु या पहले होना आवश्यक।

नियम और शर्तें क्या हैं?

- इस का फ़ीस ₹ 10,000/- मात्र (दिल्ली) अधिकार के साथ ₹ 1,250/- मात्र का विशेष भाग और इसका सामान्य शर्तों का पूर्वाधार होता है।
- [illegible] की Fees और शर्तें एक होती जो विद्यालय के अधिनियम, एवं अधिनियमों तथा आदेशों में दी गई है।

विद्यार्थि केंद्र अधिकार

- यह विद्यार्थि केन्द्रीय विद्यालय अधिनियम, 2020 में उपबंधों के अनुसार अधिक एक अधिनियम द्वारा विद्यालय नियम या शर्तों के एक नियम में दे दी जाएगी।
- यह विद्यालय और अधिकार का अन्य विवरण **http://kvsdelhi.gov.in** और **https://www.cbse.nic.in** पर उपलब्ध है।
- **विद्यार्थि प्रोफ़ोर्मा** में अधिकार इस विद्यालय के उपबंधों की दिल्ली के 5 दिन के भीतर शर्तों 1.1.2020 तक रजिस्ट्री/अधिकार केवल इस नियम शर्तों का पहुंचाने चाहिए।

Delhi, [illegible] विद्यालय